BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 21/2025

IN RE: -

ORIGINAL APPLICATION NO. 271/2023

<u>IN THE MATTER OF</u>:

"News item published in Newspaper Times of India dated 01.04.2023 titled "4 dead after blast at a house in Bulandshahr, documents of chemical firm recovered, probe underway"

<u>INDEX</u>

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Bulandshahr in compliance of order dated 04.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**<u>Annexure No. RA- 1: -</u>** A copy of the report dated 31.05.2023	
3.	**<u>Annexure No. RA 2 (Colly): -</u>** A copy of the inquiry report prepared by the Labour Commissioner on 31.12.2025, delineating the aforesaid facts, along with the speed post receipt	
4.	**<u>Annexure No. RA 3: -</u>** A copy of the report dated 18.12.2023	
5.	**<u>Annexure No. RA 4: -</u>** A copy of the Order dated 28.02.2024	
6.	**<u>Annexure No. RA 5: -</u>** A copy of the report dated 01.01.2026	

एडवोकेट / नोटरी (पब्लिक)
बुलन्दशहर (उ0प्र0)

7	**Annexure No. RA 6: -** A true copy of the letter dated 16.05.2025	
8	**Annexure No. RA 7: -** A copy of the letter dated 18.06.2025	
9	**Annexure No. RA 8: -** A copy of the letter dated 08.07.2025	
10	**Annexure No. RA 9 (Colly): -** True copies of the letters dated 15.07.2025, 24.07.2025, and 07.08.2025	
11	**Annexure No. RA 10: -** A true copy of the minutes of the meeting dated 26.09.2025	
12	**Annexure No. RA 11 (Colly):-** True copies of the letters dated 08.10.2025 & 14.10.2025	
13	**Annexure No. RA 12 (Colly): -** True copies of the letters dated 29.10.2025	

THROUGH

DATED: - 08.01.2026

AnkitVerma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 21/2025

IN RE: -

ORIGINAL APPLICATION NO. 271/2023

NOTARY Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 Ex. Date 24-5-2030 GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

"News item published in Newspaper Times of India dated 01.04.2023 titled "4 dead after blast at a house in Bulandshahr, documents of chemical firm recovered, probe underway"

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 04.04.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 1 herein states as under:-

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Shruti, aged about 40 years, W/o Shri S.K. Pandey posted as District Magistrate-Bulandshahr, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned officer and duly competent to file the present affidavit and is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Execution Application, filed before this Hon'ble Tribunal, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 Ex. Date 24-5-2030 GOVT. OF INDIA

4. That the deponent is posted as District Magistrate- Bulandshahr, since 18/01/2025 and is swearing this reply affidavit in his official capacity.

5. That the instant Execution Application has been filed by the applicant seeking execution of order dated 18.04.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in ***O.A. No.271/2023*** titled as "***News item published in Newspaper Times of India dated 01.04.2023 titled "4 dead after blast at a house in Bulandshahr, documents of chemical firm recovered, probe underway"***

6. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.04.2025 was pleased to issue the following directions: -

"4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report..."

7. That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 04.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

8. That the Original Application No 271 of 2023 was disposed of by this Hon'ble Tribunal with following directions :-

"...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount

paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities…"

9. That as per the report dated **31.05.2023**, submitted by the Assistant Labour Commissioner, Bulandshahr, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal to initiate recovery of compensation from the persons found responsible, the Learned Court Commissioner under the Employees' Compensation Act, 1923, along with the Assistant Labour Commissioner, Bulandshahr, issued statutory notices under **Section 10A** of the Employees' Compensation Act, 1923, to the Manager/owner of **M/s Air Star Megacorp Ltd** Shri Rajkumar, son of Shri Balmukund, and to Shri Pramod, son of Shri Balmukund. By means of the said notices, they were called upon to deposit the statutory compensation amounts, namely:

   (a) **Rs. 16,80,000/-** (Rupees Sixteen Lakh Eighty Thousand Only) in respect of deceased *Abhishek* (son of Shri Surendra),

   (b) **Rs. 14,41,050/-** (Rupees Fourteen Lakh Forty-One Thousand Fifty Only) in respect of deceased *Rahees* (son of Alladoon), and

   (c) **Rs. 8,26,050/-** (Rupees Eight Lakh Twenty-Six Thousand Fifty Only) in respect of deceased *Chandrapal* (son of Shri Devi Sahay).

A verbatim language of Section 10 A of the Employees' Compensation Act, 1923 is being reproduced herein for easy perusal of this Hon'ble Tribunal: -

"10A. Power to require from employers statements regarding fatal accidents.-

*(1) Where a Commissioner receives information from any source that a *[employee] has died as a result of an accident arising out of and in the course of his employment, he may send by registered post a notice to the *[employee]'s employer requiring him to submit, within thirty days of the service of the notice, a statement, in the prescribed form, giving the circumstances attending the death of the *[employee], and indicating whether, in the opinion of the employer, he is or is not liable to deposit compensation on account of the death.*

*(2) If the employer is of opinion that he is liable to deposit compensation, he shall make the deposit within thirty days of the service of the notice. (3) If the employer is of opinion that he is not liable to deposit compensation, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. (4) Where the employer has so disclaimed liability, the Commissioner, after such inquiry as he may think fit, may inform any of the dependants of the deceased *[employee] that it is open to the dependants to prefer a claim for compensation, and may give them such other further information as he may think fit."*

A copy of the report dated 31.05.2023 is being annexed as **Annexure No. RA-1** to this affidavit.

10. That, however, despite due service of the aforesaid statutory notices, the said owners failed to deposit the requisite drafts towards compensation within the time stipulated therein. Consequently, and in conformity with the mandate of

the Employees' Compensation Act, 1923, the Assistant Labour Commissioner issued further notices to the respective legal heirs of the deceased Abhishek Chandrapal and Rahees through speed post, advising them to initiate appropriate proceedings for recovery of compensation. It is a matter of record that, till date, none of the said legal heirs has instituted any proceedings for such recovery. A copy of the inquiry report prepared by the Labour Commissioner on 31.12.2025, delineating the aforesaid facts, along with the speed post receipt are collectively being annexed as **Annexure No. RA-2** to this reply affidavit.

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
GOVT. OF INDIA

11. That the aforesaid facts unequivocally demonstrate that, notwithstanding issuance of statutory notices and the availability of a well-defined statutory remedy, none of the family members of the deceased workmen has pursued the remedy provided under the Employees' Compensation Act, 1923. Instead, they merely sent a representation through post before the Deponent approximately fifteen days prior to filing the present execution application before this Hon'ble Tribunal. Such conduct clearly indicates that the legal heirs have not taken any independent or timely steps to secure the compensation to which they are legally entitled under the Employees' Compensation Act, 1923.

12. That in this regard, the Senior Superintendent of Police, Bulandshahr, submitted a report dated **18.12.2023** before the then District Magistrate Bulandshahr under **Section 14(1)** of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, seeking seizure of the bank accounts and the amount recovered from the accused, Rajkumar. Pursuant thereto, **Case No. 3067/2023** was registered before the Learned Court of the District Magistrate, Bulandshahr, under the relevant provisions of the said Act. A copy of the report

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

dated 18.12.2023 is being annexed as **Annexure No. RA-3** to this reply affidavit.

NOTARY Advocate Area-Bulandshahr Ex. Date 24-5 GOVT. OF INDIA

13. That the then District Magistrate Bulandshahr, vide order dated 28.02.2024 passed in **Case No. 3067/2023**, directed the seizure of the bank accounts of accused Rajkumar as well as the amount recovered from him. District Magistrate further referred the matter to the Competent Court (Gangster Court), Bulandshahr, under Section 16(1) of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, for appropriate adjudication in accordance with law. A copy of the Order dated 28.02.2024 is being annexed as **Annexure No. RA-4** to this reply affidavit.

14. That it is, therefore, evident from the foregoing averments that the District Administration has duly undertaken all requisite and lawful measures, in faithful compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, to ensure recovery of the compensation amount from the person held responsible.

15. That thereafter, on 04.07.2025, an order was passed in **Criminal Miscellaneous Case No. 216/2024**, *State of Uttar Pradesh v. Raj Kumar (son of Balmukund)*, by the Learned Court of the Hon'ble Special Judge (Gangster Act)/Additional Sessions Judge, Court No. 8, Bulandshahr, directing that the said respondent, Raj Kumar, be released in accordance with law upon expiry of the statutory thirty-day appeal period prescribed under Rule 53 of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Rules.

16. That thereafter, pursuant to the recommendation dated 19.07.2025 of the Special Public Prosecutor (Gangster Act), Bulandshahr, the District Magistrate, Bulandshahr, forwarded a formal recommendation to the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Justice Department-5 (Criminal), Lucknow,

NOTARY Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 GOVT. OF INDIA

seeking sanction for filing an appeal against the order dated 04.07.2025 passed by the Hon'ble Special Judge (Gangster Act)/Additional Sessions Judge, Court No. 8, Bulandshahr, in Criminal Miscellaneous Case No. 216/2024, under Section 16(1) of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.

17. That in view of the foregoing, it is manifest that the State authorities are actively and effectively pursuing all legal measures against the accused persons implicated in the incident.

18. That it is pertinent to note that the factory/unit involved in the aforesaid incident was operating illegally, without obtaining requisite permissions from the competent authority, and the deceased individuals were employed therein despite the unit's unlawful status. Further, one of the deceased, namely *Vinod*, son of Shri Balmukund, resident of Numaish Ground, Police Station Kotwali Nagar, District Bulandshahr, was himself named as an accused in the First Information Report (FIR) registered in connection with the incident, a fact which appears to have been overlooked by this Hon'ble Tribunal while passing the order dated 18.04.2023.

19. That it is further submitted that the applicants in the present execution proceedings submitted a representation dated 06.03.2025 to the Deponent and the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, merely fifteen days prior to filing the present Execution Application before this Hon'ble Tribunal. Moreover, as per the report dated 01.01.2026 submitted by the Sub-Divisional Magistrate, Bulandshahr, one of the applicants, namely *Dheerendra* (nephew of deceased Chandrapal), is not a legal heir of the deceased Chandrapal. It is therefore evident that the no lawful legal heir of Chandrapal initiated any proceedings for seeking compensation under the Employees' Compensation Act, 1923, and that the applicant Dheerendra, acting with mala fide intent,

NOTARY Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 Ex. Date 24-5-2030 GOVT. OF INDIA

instituted the present Execution Application despite having no locus standi. A copy of the report dated 01.01.2026 is being annexed as **Annexure No. RA-5** to this reply affidavit.

20. That it is also relevant to note that the other applicant, Smt. Amina Bano, is the legal heir of two deceased persons, namely her husband *Rahees* and her son *Ahad*, which fact was likewise overlooked by this Hon'ble Tribunal while passing the order dated 04.04.2025, directing payment of Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakh Only) to the legal heirs of each deceased.

21. That it is noteworthy that no dedicated fund exists at the District level from which the aforesaid amounts could be disbursed. In due compliance, the office of the Deponent addressed a letter dated 16.05.2025 to the Special Secretary, Home Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, seeking further instructions and appropriate directions in the matter. A true copy of the letter dated 16.05.2025 is being annexed as **Annexure No. RA-6** to this reply affidavit.

22. That it is also to be noted that in a similar case in Sambhal district, the Hon'ble National Green Tribunal, in OA No. 438/2023 passed the order dated April 22, 2025, the relevant excerpts of which are given below:

> "91. *The legal heirs/dependents of the deceased, the injured and owners of the neighboring houses damaged cannot be made to suffer due to non-availability of sufficient funds in the District Administration as submitted by the District Magistrate, Sambhal. Therefore, in the facts of this case UPPCB is directed to transfer the amount of compensation, payable to the legal heirs/dependents of the deceased, the injured and owners of the neighboring houses damaged, to the District Magistrate, Sambhal, on making of reference by him in this regard, out of the environmental compensation amount lying deposited with it, for disbursement thereof to the legal heirs/dependents of the deceased, the injured and owners of the neighboring houses damaged."*

23. That it is further submitted that, vide letter dated 18.06.2025, the office of the Deponent requested the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, for

necessary guidance to facilitate compliance with the order dated 04.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. A copy of the letter dated 18.06.2025 is being annexed as **Annexure No. RA-7** to this reply affidavit.

23. That a further letter dated 08.07.2025 was addressed to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, requesting appropriate guidance and directions to ensure due compliance with the order of this Hon'ble Tribunal. A copy of the letter dated 08.07.2025 is being annexed as **Annexure No. RA-8** to this reply affidavit.

24. That, as a reminder, additional request letters were issued to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, on 15.07.2025, 24.07.2025, and 07.08.2025, seeking guidance and directions for ensuring compliance with the order dated 11.07.2025. True copies of the letters dated 15.07.2025, 24.07.2025, and 07.08.2025, are collectively annexed as **Annexure No. RA-9** to this reply affidavit.

25. That, in light of recurrent explosions occurring in illegal firecracker warehouses across various Districts of the State, and in respectful compliance with directions issued by this Hon'ble Tribunal in several related matters, reference is invited to the minutes of the meeting convened on 22.09.2025 under the chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. For the ease of perusal by this Hon'ble Tribunal, the verbatim text of Point 4, sub-point 1, is reproduced herein:

"Licenses for the manufacture, distribution, and storage of firecrackers at the district level are issued by the District Magistrate/Police Commissioner. Therefore, the responsibility of complying with the directives passed by the Hon'ble NGT and providing the prescribed compensation to the victims lies with the Home Department at the government level."

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-3-2030
GOVT. OF INDIA

A true copy of the minutes of the meeting dated 26.09.2025 is being annexed as **Annexure No. RA-10** to this reply affidavit.

26. That in compliance with the aforesaid directions in the minutes of the meeting, the office of the Deponent, vide letters dated 08.10.2025 and 14.10.2025, requested the Principal Secretary, Home Department, Uttar Pradesh, to take necessary action. True copies of the letters dated 08.10.2025 & 14.10.2025 are collectively being annexed as **Annexure No. RA-11** to this reply affidavit.

27. That the office of the Deponent further issued a letter dated 29.10.2025 to the Principal Secretary, Home Department, and the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, seeking necessary action in compliance with and direction of the order dated 16.10.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. True copies of the letters dated 29.10.2025 are being collectively annexed as **Annexure No. RA-12** to this reply affidavit.

28. That it is respectfully submitted that the present Execution Application has been instituted before this Hon'ble Tribunal by deliberately concealing material and vital facts. One of the applicants, namely Dheerendra, is admittedly not the legal heir of the deceased Chandrapal, as is evident from official records. Further, both applicants have suppressed the fact that they were duly advised to initiate proceedings under the Employees' Compensation Act, 1923, for recovery of compensation from the employer/accused, a fact explicitly recognized by this Hon'ble Tribunal in its order dated 18.04.2023, wherein liberty was granted to recover compensation from the owner of the godown/responsible person.

29. That it is respectfully submitted that the District Administration has, in full compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, undertaken appropriate legal measures to recover the compensation from the accused/responsible

person. Nevertheless, the legal heirs, to whom statutory notices were issued, have failed to pursue the legal remedies available to them under the Employees' Compensation Act, 1923.

30. That it is further submitted that the District Administration does not have any dedicated fund account at its disposal for disbursal of compensation in such matters. Notwithstanding this, all steps have been taken to obtain necessary instructions and guidance from higher authorities, and the matter presently remains under active consideration at the appropriate administrative level. Therefore, in light of the foregoing submissions, it is most respectfully submitted that the present Execution Application deserves to be dismissed, as it has been filed by persons who lack requisite locus standi and have suppressed material facts. It is further prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the remaining eligible applicant(s) to initiate proceedings under the Employees' Compensation Act, 1923, whereupon the District Administration shall take all necessary legal measures to secure recovery of the compensation from the employer/responsible person.

31. That in the interest of justice the present reply affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 7th day of January, 2026.

DEPONENT

143

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP39691541218295Y

सत्यमेव जयते

e-Stamp

ACC CODE- PRATAP SINGH CH. BULANDSHAHR

Certificate No.	:	IN-UP39691541218295Y
Certificate Issued Date	:	07-Jan-2026 04:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14849804/ BULANDSHAHR SADAR/ UP-BLS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14849804757117360344O1Y
Purchased by	:	SHRUTI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRUTI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRUTI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

IN-UP39691541218295Y

Please write or type below this line

SR No 73/2026

प्रमाणित करता हूँ कि श्री श्रुति W/o ... ने जिसकी पहचान श्री ... आज दिनांक 7/01/2026 को ... प्रातः साथ मेरे समक्ष ... पत्र के उक्त लेख को सुनकर ... होना स्वीकार किया। शुल्क 36

7/1/2026
अशोक कुमार
एडवोकेट / नोटरी (पब्लिक)
बुलन्दशहर (उ०प्र०)

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

न्यायालय आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर।

पत्रांक 729 /सी0एस0आर0क्षतिपूर्ति दिनांकः- 31/5/23

श्री सुरेन्द्र पिता मृतक अभिषेक,
निवासी सैगा जगतपुर,
थाना अगौता, बुलन्दशहर।

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम ढकौली, नया गॉव, काली नदी के पास, दक्ष गार्डन के पीछे, कोतवाली बुलन्दशहर में हुए विस्फोट के पश्चात आपके पुत्र श्री अभिषेक की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि इस न्यायालय में जमा किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है किन्तु सेवायोजकों द्वारा कोई धनराशि जमा नही करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में आपको परामर्श दिया जाता है कि आप कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कष्ट करें।

(सर्वेश कुमारी)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/सहायक
श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

न्यायालय आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर।

पत्रांक 730 /डी0एस0आर0क्षतिपूर्ति

दिनांकः- 31/5/23

श्री देव सहाय पिता मृतक चन्द्रपाल
निवासी नाजिमपुरा भूड,
कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम ढकौली, नया गॉव, काली नदी के पास, दक्ष गार्डन के पीछे, कोतवाली बुलन्दशहर में हुए विस्फोट के पश्चात आपके पुत्र स्व0 चन्द्रपाल की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि इस न्यायालय में जमा किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है किन्तु सेवायोजकों द्वारा कोई धनराशि जमा नही करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में आपको परामर्श दिया जाता है कि आप कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कष्ट करें।

(सर्वेश कुमारी)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/सहायक
श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

न्यायालय आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर।

पत्रांक 731 /डी0एस0आर0क्षतिपूर्ति दिनांक:- 31/5/23.

श्रीमती अमीना पत्नी स्व0 रहीस
निवासी धमैडा रोड, नई बस्ती,
कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम ढकौली, नया गॉव, काली नदी के पास, दक्ष गार्डन के पीछे, कोतवाली बुलन्दशहर में हुए विस्फोट के पश्चात आपके पति स्व0 रहीस की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि इस न्यायालय में जमा किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है किन्तु सेवायोजकों द्वारा कोई धनराशि जमा नही करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में आपको परामर्श दिया जाता है कि आप कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कष्ट करें।

(सर्वेश कुमारी)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/सहायक
श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

न्यायालय आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 एवं सहायक श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

पत्रांक 291-94 /बी0एस0आर0 क्षतिपूर्ति दिनांक 07/04/23

:-नोटिस-:

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत

सेवायोजक / प्रबन्धक,
मैसर्स एयर स्टार मेगीकार्प लि0,
ढकौली, नया गाँव, काली नदी के पास, बुलन्दशहर।
श्री राजकुमार पुत्र श्री बालमुकुन्द, एवं श्री प्रमोद पुत्र श्री बालमुकुन्द
निवासी, 789 नुमाइश ग्राउण्ड के पास, बुलन्दशहर

श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत अपनी आख्या दिनांक 31.03.2023 के अनुसार एवं दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर दिनांक 31.03.2023 को आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत् निम्नलिखित श्रमिकों की मृत्यु हो गयी जिनके आश्रितों को आप द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।
01–अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र, उम्र 20 वर्ष निवासी सैंगा जगतपुर, थाना अगौता, बुलन्दशहर,
02–रहीस पुत्र अल्लादून, उम्र 37 वर्ष निवासी धमैडा रोड, नई बस्ती, कोतवाली नगर, बुलन्दशहर,
03 चन्द्रपाल पुत्र देव सहाय उम्र 62 निवासी नाजिमपुरा भूड, थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर हैं,

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 10 ए में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 30 दिन के अन्दर श्रमिक का वेतन एवं आयु से सम्बन्धित समस्त विवरण प्रस्तुत करते हुए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र को रू0 16,80,000/ रहीस पुत्र अल्लादून को रू0 14,41,050/, एवं चन्द्रपाल पुत्र देव सहाय को रू0 8,26,050/ कुल धनराशि **रू0 39,47,100/(रू0 उनतालीस लाख सैतालीस हजार सौ रूपये मात्र)** का ड्राफ्ट इस कार्यालय में जो **आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर** के नाम से बनवाकर इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में अग्रेत्तर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

(सर्वेश कुमारी)
आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923/
प्रभारी सहायक श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

पत्रांक 291-94 /उक्त दिनांक:- 07/04/23

प्रतिलिपिः-
01– श्री सुरेन्द्र पिता मृतक अभिषेक, निवासी सैंगा जगतपुर, थाना अगौता, बुलन्दशहर।
02– अमीना पत्नी मृतक स्व0 रहीस, निवासी धमैडा रोड, नई बस्ती, कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।
03– श्री देवसहाय पिता मृतक चन्द्रपाल,निवासी नाजिमपुरा भूड, थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर हैं।

(सर्वेश कुमारी)
आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923/
प्रभारी सहायक श्रमायुक्त,बुलन्दशहर।

प्रेषक,

सहायक श्रमायुक्त
बुलन्दशहर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बुलन्दशहर।

पत्रांक 1363 /बी0एस0आर0 दिनांकः– 31/12/25

महोदय,

कृपया दिनांक 26–12–2025 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर महोदया की बैठक में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 30–03–2023 को ग्राम ढकौली, नया गॉव, काली नदी के पास, दक्ष गार्डन के पीछे बुलन्दशहर में स्थित कैमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट के प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त कथित दुर्घटना के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बुलन्दशहर, सहायक निदेशक कारखाना, बुलन्दशहर एवं सहायक श्रमायुक्त(प्रभारी), बुलन्दशहर द्वारा जॉच कर आख्या प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रेषित आख्या के अनुसार घटित दुर्घटना में निम्न 05 व्यक्तियों की मृत्यु होना लिखित हैः–

1– 01–विनोद पुत्र बालमुकुन्द,उम्र 43 वर्ष, निवासी नुमाइश ग्राउण्ड, बुलन्दशहर।

02– अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र, उम्र 20 वर्ष निवासी सैंगा जगतपुर, थाना अगौता, बुलन्दशहर।

03–रहीस पुत्र अल्लादून, उम्र 37 वर्ष निवासी धमैडा रोड, नई बस्ती, कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।

04– अहद पुत्र रहीस, उम्र 06 वर्ष निवासी धमैडा रोड, नई बस्ती थाना कोतवाली, नगर, बुलन्दशहर।

05 चन्द्रपाल पुत्र देव सहाय उम्र 62 निवासी नाजिमपुरा भूड, थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर हैं।

उक्त दुर्घटना में रहीस पुत्र अल्लादून जो कि रिक्शा चालक था तथा परिवार का भरण पोषण करने के लिए उक्त प्रतिष्ठान में सामान लाने ले जाने का कार्य करता था "दुर्घटना के दिन वह प्रतिष्ठान के पास खडा था तथा उसका बेटा अहद प्रतिष्ठान के पास खेलने के लिए गया था तथा उक्त दुर्घटना में उसकी भी मृत्यु हो गयी।" चूँकि मृतक अहद प्रतिष्ठान का कोई कर्मचारी नही था अतः प्रकरण में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत उक्त के सम्बन्ध में नोटिस नही प्रेषित किया गया।

दुर्घटना में हुई मृत्यु में मृतक विनोद पुत्र श्री बालमुकुन्द की भी मृत्यु हुई जिनके सम्बन्ध में जॉच आख्या में वर्णित है कि "प्रतिष्ठान श्री राजकुमार पुत्र श्री बालमुकुन्द, श्री विनोद पुत्र श्री बालमुकुन्द एवं श्री प्रमोद पुत्र श्री बालमुकुन्द सभी निवासी नुमाइश ग्राउण्ड के पास, बुलन्दशहर के द्वारा संचालित किया जा रहा

था।" उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि दायर की गयी एफ0आई0आर0 के पृष्ठ 5 पर उल्लिखित किया गया है कि श्री राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द एवं उसके सगे भाई विनोद एवं प्रमोद पुत्र श्री बालमुकुन्द द्वारा अवैध रूप से उक्त फक्ट्री संचालित की जा रही थी। चूँकि मृतक श्री विनोद पुत्र श्री बालमुकुन्द प्रतिष्ठान के संचालन में सम्मिलित थे अतः प्रकरण में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10 ए के अन्तर्गत उक्त के सम्बन्ध में नोटिस नही प्रेषित किया गया।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जिन 03 मृतक श्रमिकों के सम्बन्ध में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10ए के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया है। सेवायोजक द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि कार्यालय में जमा नही किये जाने की दशा मे तीनों कार्मिकों को वाद लगाये जाने की सलाह दी गयी, किन्तु अद्यतन इस प्रकरण में आश्रितो द्वारा अभी तक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत वाद दायर करने की कार्यवाही नही की गयी है।

उरोक्तानुसार आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीया

31।12।25

(डा0 पल्लवी अग्रवाल)
सहायक श्रमायुक्त
बुलन्दशहर।

RU616692583IN IVR:8285616692583
RL DAV COLLEGE BULANDSHAHR SO <20
Counter No:1,10/04/2023,16:25
To:PRAMOD ,BULANDSHAHR
PIN:203001, Bulandshahr HO
From:KAR YA SHAT,BULANDSHAHR
Wt:20gms
Amt:0.00PS:22.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

(प्रमोद)

भारतीय डाक

RU616692623IN IVR:8285616692623
RL DAV COLLEGE BULANDSHAHR SO <20
Counter No:1,10/04/2023,16:25
To:AMINA ,BULANDSHAHR
PIN:203001, Bulandshahr HO
From:KAR YA SHAT,BULANDSHAHR
Wt:20gms
Amt:0.00PS:22.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

(अमीना)

भारतीय डाक

RU616692597IN IVR:8285616692597
RL DAV COLLEGE BULANDSHAHR SO <20
Counter No:1,10/04/2023,16:25
To:DESHAYAK ,BULANDSHAHR
PIN:203001, Bulandshahr HO

(देवसहाय)

रिपोर्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर ।

सेवा मे,
श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद – बुलन्दशहर

द्वारा - उचित माध्यम

नम्बर 1 18/07/25
दिनांक
वादी का नाम योगेश कुमार (ADGC)
नोटिस का दिनांक 16/07/25
जारी करने का दिनांक 16/07/25
शब्द 450/-

विषयः- मु0अ0सं0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 IPC, व 3/5 विस्फोटक अधिनियम व 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर बु0शहर से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द, नि0 789, नुमाईश ग्राउन्ण्ड के पास गिरधारी नगर, थाना कोतवाली नगर जि0 बुलन्दशहर की अवैध सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट मे जब्त करने हेतु रिपोर्ट

महोदय,
सादर अवगत कराना है कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 IPC, व 3/5 विस्फोटक अधिनियम व 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर बु0शहर से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द, नि0 789, नुमाईश ग्राउन्ण्ड के पास गिरधारी नगर, थाना कोतवाली नगर जि0 बुलन्दशहर के द्वारा अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है । जिससे अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त ने अपने बैक खाते / गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी मे **कुल 1,566,364.3 रूपये** की सम्पत्ति पायी गयी है । जिसका विवरण निम्नवत् है—

1. बंधन बैक खाता संख्या 10200003810365, 434 सिविल लाईन राजा बाबू रोड नियर कामना ज्वैलर्स बु0शहर ,AIR STAR TRADERS/RAJKUMAR के नाम पर है जिसमें **12,20396.43**/- रुपये है ।

2. बंधन बैक के खाता सं0 10200003809728 , 434 सिविल लाईन राजा बाबू रोड नियर कामना ज्वैलर्स बु0शहर जो अभि0 राजकुमार उपरोक्त के नाम पर है जिसमें **33,717.94/-** रुपये है

3. अभियुक्त राजकुमार से गिरफ्तारी के दौरान **271000**/- रू बरामद हुआ जिसे दिनांक 03.04.23 को र0नं0 12 समय 04.24 बजे रो0आम0 मे दाखिल किया गया है

3ग
3

4. स्टैट बैंक इण्डिया उत्तराखण्ड के खाता सं0 350550202540 जो अभि0 राजकुमार उपरोक्त के नाम पर है जिसमें **36848/-** रुपये है, विकास नगर देहरादून।

5. पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 3654000100122073 जो अभि0 राजकुमार उपरोक्त के नाम पर है जिसमें **4401.93/-** रुपये है । पुरानी जेल सिविल लाइन बुलन्दशहर।

महोदय उपरोक्त सम्पत्ति को अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के द्वारा अपराध कारित कर अर्जित किया गया है। जो अन्तर्गत धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट मे जब्त की जानी है।

आपराधिक इतिहास - राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द, नि0 789, नुमाईश ग्राउन्ण्ड के पास गिरधारी नगर, थाना कोतवाली नगर जि0 बुलन्दशहर ।

1. मु0अ0सं0 1003/2019 धारा 285/286 भादवि व 5/9ख विस्फोटक अधि0 थाना को0नगर बु0शहर
2. मु0अ0स0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 IPC, व 3/5 विस्फोटक अधिनियम व 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, बु0शहर

श्रीमान् जी से निवेदन है कि अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त की उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट मे जब्त करने की कृपा करें ।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है ।

संलग्नकः-

1. रिपोर्ट थाना को0नगर बु0शहर -- 01 वर्क
2. बंधन बैंक द्वारा उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट की रिपोर्ट ....03 वर्क
3. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट की रिपोर्ट ....01 वर्क।
4. दिनांक 03.04.23 की र0नं0 12 रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति........01 वर्क ।

दिनांक-

(वीरेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ उप-निरीक्षक/विवेचक
कोतवाली नगर, बु0शहर

महोदय, आख्या श्रीमान जी ... प्रस्तुत ... है।

13.12.23

अनुकृति शर्मा
सहायक पुलिस अधीक्षक नगर
बुलन्दशहर

श्रीमान जी, आख्या ... अग्रसारित है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना–कोतवाली नगर
जनपद–बुलन्दशहर
27.11.23

न्यायालय : - जिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ , जनपद :बुलन्द शहर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- D202311170003667
वाद संख्या:- 3667/2023
सरकार बनाम राजकुमार
गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम,1986 , अंतर्गत धारा:- 14(1)
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 28/02/2024

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण)अधि01986(उ0प्र0 अधि0 सं0 7 वर्ष 1986) की धारा 14(1) के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 18.12.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 18.12.2023 में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर की आख्या दिनांक 27.11.2023 के आधार पर उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द निवासी 789, नुमाईश ग्राउन्ड के पास गिरधारी नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपराध कारित करके अवैध सम्पति एकत्र की गयी है, जिसको अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त ने अपने बैंक खाते/ गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी में कुल 15,66,364.30 रूपये की सम्पत्ति पायी गयी। अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द निवासी 789, नुमाईश ग्राउन्ड के पास गिरधारी नगर थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 भादवि व 3/5 विस्फोटक अधिनियम में 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त द्वारा अपराध कारित कर अर्जित उक्त सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त की सम्पत्ति का विवरण एवं अपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

1-बंधन बैंक की शाखा 434 सिविल लाईन राजे बाबू रोड़ नियर कामना ज्वैलर्स बुलन्दशहर के खाता संख्या-10200003810365 एयर स्टार ट्रेडर्स/राजकुमार उपरोक्त के नाम पर खाते में 12,20,396. 43/-रूपये जमा है।

2-बंधन बैंक की शाखा 434 सिविल लाईन राजे बाबू रोड़ नियर कामना ज्वैलर्स बुलन्दशहर के खाता संख्या-10200003809728 जो राजकुमार उपरोक्त के नाम पर खाते में 33,717.94/- रूपये जमा है।

3-राजकुमार उपरोक्त गिरफ्तारी के दौरान 2,71,000/-रूपये बरामद हुए, जो दिनांक 03.04.2023 को रपट संख्य- 12 समय 04:24 भजे जी०डी० में तजकरा अंकित कर माल खाने में दाखिल है।

4-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा विकास नगर मैन मार्केट देहरादून उत्तराखण्ड के खाता संख्या-35055020254O जो राजकुमार उपरोक्त के नाम पर खाते में 36,848/-रूपये जमा है।

5-पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पुरानी जेल सिविल लाईन बुलन्दशहर के खाता संख्या सं0-3654000100122073 में राजकुमार उपरोक्त के नाम पर खाते में 4401.93/-रूपये जमा है।

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ०सं० 1003/2019 धारा 285/286 भादवि व 5/9ख विस्फोटक अधिनियम थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 भादवि व 3/5 विस्फोटक अधिनियम व 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

आख्या में अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द निवासी 789, नुमाईश ग्राउन्ड के पास गिरधारी नगर थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर एकत्र की गई उपरोक्त सम्पत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के हित में जब्त करने की कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर की उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या दिनांक 18.12.2023 के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को उपरोक्त बैक खाते सीज कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है।

दिनांक 23.01.2024 को विपक्षी की तरफ से बजरिये अधिवक्ता प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया,जिसमें मुख्यतः वर्णित किया गया है कि एयर स्टार ट्रेडर्स के नाम से प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म है। प्रार्थी की फर्म पर रजि०नं0-09एटीआरपीके2313सी2जैडयू है। प्रार्थी वर्ष 2020-21 से उपरोक्त फर्म के माध्यम से अपना व्यवसाय कर रहा है। प्रार्थी द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की गयी है, वह व्यवसाय के माध्यम से की गयी है, जिस पर जी.एस.टी. के अलावा विधिवत् रूप से आयकर अदा किया गया है। पिछले तीन वर्षों की आयकर सीट संलग्न की जा रही है। प्रार्थी को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। नोटिस की धारा-1 का स्पष्टीकरण है कि बंधन बैंक की शाखा 434, सिविल लाईन राजेबाबू रोड़, निकट-कामना ज्वैलर्स, जिला बुलन्दशहर के खाता सं0-10200003810365, एयर स्टार ट्रेडर्स/ प्रार्थी के नाम पर खाते में मुबलिग 12,20,396/-रूपये जमा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क) आधार कार्ड पुष्पा पत्नी राजकुमार।
ख) आधार कार्ड राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द
ग) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एयर स्टार ट्रेडर्स
घ) जी०एस०टी० पेपर्स संलग्न है।
ड) आई०टी०आर० पेपर सन् 2020-21, 2021-22, 2022-23 की छायाप्रति संलग्न है।
च) बैंक स्टेटमेन्ट बंधन बैंक, बैंक स्टेटमेन्ट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देहरादून, बैंक स्टेटमेन्ट पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन, बुलन्दशहर संलग्न है।

नोटिस की धारा-2 का स्पष्टीकरण है कि बंधन बैंक की शाखा 434 सिविल लाईन, निकट कामना ज्वैलर्स, बुलन्दशहर के खाता संख्या-10200003809728 जो प्रार्थी उपरोक्त के नाम है, खाते में मुवलिग 33,714.94/- रूपये का बचत खाता है, जिसमें बचत के रूपये जमा है, जिसका आई०टी०आर० जमा है। वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के आई०टी०आर० संलग्न है। नोटिस की धारा 3 का स्पष्टीकरण है कि प्रार्थी उपरोक्त की गिफ्तारी के दौरान मु0 2,71,000/-रूपये बरामद हुए, यह रूपया प्रार्थी के व्यवसाय के थे। नोटिस की धारा-4 का स्पष्टीकरण है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा विकास नगर, मैन मार्केट, देहरादून के खाता सं0-35055020254० जो प्रार्थी के नाम है, खाते में मु0 36,848/- रूपये जमा है व यह बचत खाता है। नोटिस की धारा-5 का स्पष्टीकरण है कि पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाईन के खाता संख्या-3654000100122073 में प्रार्थी राजकुमार के नाम 4401.93/-रूपये जमा है, यह भी प्रार्थी का बचत खाता है। नोटिस में दर्शाये गये प्रार्थी राजकुमार का आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0-1003/2019, अन्तर्गत धारा-285, 286 आई०पी०सी० व 5/9ख विस्फोटक अधिनियम विचाराधीन है। नोटिस में दर्शाया गया मु0अ0सं0-244/2023, अ०धारा-304, 268, 269, 285, 286 आई०पी०सी० व 3/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना-कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर में प्रार्थी जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जो भी सम्पत्ति अर्जित की है, वह अपने व्यवसाय से अर्जित की है, उसने बलपूर्वक व आपराधिक तरीके से कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। प्रार्थी का न तो कोई गैंग है और न ही प्रार्थी ने किसी गैंग के साथ अपराध करके कोई सम्पत्ति अर्जित की है, बल्कि प्रार्थी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दिनांक को थाना कोतवाली नगर पर दर्ज हुआ था। उसके काफी समय पूर्व से ही प्रार्थी की उक्त फर्म पर कार्य कर अपना व्यवसाय कर रहा है और उसी के माध्यम से नोटिस में वर्णित उक्त सम्पत्ति अर्जित की गयी है, जिसे रिलीज किया जाना न्यायहित में है।

वाद में नियत तिथि को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी राजकुमार उपरोक्त ने अपने बैंक खाते व गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी में कुल 15,66,364.30 रूपये की सम्पत्ति पायी गयी। अभियुक्त राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द निवासी 789, नुमाईश ग्राउन्ड के पास गिरधारी नगर थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 244/2023 धारा 304/268/269/285/286 भादवि व 3/5 विस्फोटक अधिनियम में 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा अवैध रूप से एकत्र किया गया धन/रूपया संदर्भित धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त होने योग्य है।
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों की ही पुर्नावृति करते हुये कहा गया है कि स्टार ट्रेडर्स के नाम से प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म है। प्रार्थी द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की गयी है, वह व्यवसाय के माध्यम से की गयी है, जिस पर जी.एस.टी. व आयकर अदा किया गया है। प्रार्थी को उक्त मुकदमों में झूठा फंसाया गया है। बंधन बैंक की शाखा 434 सिविल लाईन, निकट कामना ज्वैलर्स, बुलन्दशहर के खाता संख्या-10200003809728, में जमा मुबलिग 33,714.94/- रूपये का बचत खाता है, जिसमें बचत के रूपये जमा है, जिसका आई०टी०आर० जमा है। गिफ्तारी के दौरान मु0 2,71,000/-रूपये बरामद हुए,जो प्रार्थी के व्यवसाय के थे। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा विकास नगर, मैन मार्केट, देहरादून के खाता सं0-350550202540 में मु0 36,848/- रूपये जमा है, यह भी बचत खाता है। पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाईन के खाता संख्या-3654000100122073 में 4401.93/-रूपये जमा है, यह भी प्रार्थी का बचत खाता है। मु0अ0सं0-1003/2019, विचाराधीन है तथा मु0अ0सं0-244/2023, में प्रार्थी जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जो भी सम्पत्ति अर्जित की है, वह अपने व्यवसाय से अर्जित की है, उसने बलपूर्वक व आपराधिक तरीके से कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। प्रार्थी का न तो कोई गैंग है और न ही प्रार्थी ने किसी गैंग के साथ अपराध करके कोई सम्पत्ति अर्जित की है। अन्त में विधि व्यवस्था प्रस्तुत करते हुये सीज किये गये बैंक खातों को मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा विपक्षी की तरफ से प्रस्तुत प्रत्यावेदन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने से विदित है कि विपक्षी की तरफ से प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन/जवाब के साथ इस आशय का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्व हो सके कि बैंक खातों में जमा धनराशि के प्राप्ति का वैध स्रोत क्या था। विपक्षी की तरफ से प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन में मुख्यतः इस तथ्य पर बल दिया गया है कि' बैंक खातों में जमा धनराशि विपक्षी के व्यवसाय से प्राप्त धनराशि के बचत खाते हैं।' इसके सम्बन्ध में विपक्षी की तरफ से कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस आख्यानुसार विपक्षी के विभिन्न बैंकों में 04 खाते हैं। एक ही बैंक, बंधन बैंक की शाखा 434 सिविल लाईन राजे बाबू रोड़ नियर कामना ज्वैलर्स बुलन्दशहर में दो अलग-अलग खाते हैं। प्रत्यावेदन में वर्णित यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि विपक्षी के सभी खातों में जमा धनराशि उसके व्यवसाय से प्राप्त बचत की धनराशि हो। प्रथम दृष्टया विपक्षी की तरफ से प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23.01.2024 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। तदनुसार निरस्त किया जाता है। तत्क्रम में कुर्की आदेश/नोटिस दिनांक 21.12.2023 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के दौरान बरामद 2,71,000/-रूपये को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बुलन्दशहर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने तथा अग्रिम आदेशों तक उक्त बैंकों के प्रश्नगत खाते यथावत सीज रहने योग्य हैं।
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा विपक्षी राजकुमार पुत्र बालमुकुन्द निवासी 789, नुमाईश ग्राउन्ड के पास गिरधारी नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर से गिरफ्तारी के दौरान बरामद 2,71,000/-रूपये प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बुलन्दशहर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक उक्त बैंकों के प्रश्नगत खाते यथावत सीज रहेंगे। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर व लीड बैंक प्रबन्धक बुलन्दशहर/लीड बैंक प्रबन्धक देहरादून उत्तराखण्ड व सम्बन्धित बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों व सम्बन्धित थाना प्रभारी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

आदेश सहित समस्त अभिलेख सक्षम न्यायालय (गैंगस्टर न्यायालय) को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण) अधि0 1986 की धारा 16(1) के अन्तर्गत सन्दर्भित किया जाता है।
दिनांक-28.02.2024

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
बुलन्दशहर।

आदेश को खुले न्यायालय में उदघोषित मुद्रांकित एंव हस्ताक्षरित किया गया।
दिनांक-28.02.2024

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
बुलन्दशहर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Annexure R-5

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, बुलन्दशहर।
OFFICE OF THE SUB DIVISONAL MAGISTRATE,SADAR DISTRICT BULANDSHAHAR

पत्रांकः 501 /रा0का0/2025 दिनांकः– 1/1/26

अपर जिलाधिलाधिकारी(वि0/रा0)
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 18.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री देवी सहाय 2/69 नाजीमपुरा भूड के विधिक वारिसो के जॉच चाही गयी हैः–

उक्त के कम मे तहसीलदार सदर द्वारा जॉच करायी गयी तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक सं0 1221/रा0लि0 दिनांक 27.12.2025 में अवगत कराया कि श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री देवी सहाय 2/69 नाजीमपुरा भूड के सम्बन्ध मे अवगत कराया है कि मृतक चन्द्रपाल पुत्र देवीसहाय की शादी नही हुयी थी मृत्यु के समय अविवाहित थे मृतक चन्द्रपाल के माता पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इसके अतिरिक्त मृतक के भाई की पत्नी जगवती पत्नी महावीर सिंह व सामूहिक बयान,टीकम सिंह पुत्र छिद्दालाल एवं सुरेशचन्द पुत्र गोपाल सिंह के बयान,टीकम सिंह पुत्र छिद्दालाल एवं सुरेशचन्द पुत्र गोपाल सिंह के बयान साथ संलग्न है। कि मृतक का कोई विधिक वारिसान नही है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

01.1.26

उपजिलाधिकारी,सदर
बुलन्दशहर।

कार्यालय

तहसीलदार सदर, जनपद–बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE TEHSILDAR, SADAR DISTRICT BULANDSHAHAR

पत्रांकः 1221 /रा0लि0/2025 दिनांकः– 27/12/25

उपजिलाधिकारी,सदर
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 18.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री देवी सहाय 2/69 नाजीमपुरा भूड के विधिक वारिसो के जॉच चाही गयी हैः–

उक्त के कम मे क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जॉच करायी गयी नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया कि श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री देवी सहाय 2/69 नाजीमपुरा भूड के सम्बन्ध मे अवगत कराया है कि मृतक चन्द्रपाल पुत्र देवीसहाय की शादी नही हुयी थी मृत्यु के समय अविवाहित थे मृतक चन्द्रपाल के माता पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इसके अतिरिक्त मृतक के भाई की पत्नी जगवती पत्नी महावीर सिंह व सामूहिक बयान टीकम सिंह पुत्र छिद्दालाल एवं सुरेशचन्द पुत्र गोपाल सिंह के बयान टीकम सिंह पुत्र छिद्दालाल एवं सुरेशचन्द पुत्र गोपाल सिंह के बयान साथ संलग्न है। कि मृतक का कोई विधिक वारिसान नही है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

27/12/25

तहसीलदार,सदर
बुलन्दशहर।

बयान

हम प्रार्थीगण निवासी नजीमपुरा भूड़ गली नं० - 2/69 बुलन्दशहर के निवासी हैं. हमारे पड़ोसी चन्द्रपाल पुत्र देवी सहाय जाति जाटव थे। जिनकी मृत्यु 31-03-23 को धर्मेश अड्डा बुलन्दशहर में हो गयी है. वही पर वह चौकीदार के रूप में कार्य करते थे। उनकी शादी नहीं हुयी थी। वह अन्य अपने भाई महावीर सिंह के परिवार में रहकर अपना जीवन यापन करते थे. इनका कोई विधिक वारिस नहीं है. बयान पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

19-Dec/2025

(टीकमसिंह)
9837166062

Suresh Chand
9457360955

राजकपूर

बयान

श्रीमति भगवती पत्नी स्व० महावीर सिंह नि० - नजीमपुरा भूड़ थ० वरन बुलन्दशहर आयु - 65 वर्ष, जाति - जाट, पेशा - गृहणी ने बहलफ बयान किया कि चन्द्रपाल पुत्र देवीसहाय मेरे सगे देवर थे। इनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे साथ मेरे परिवार में ही निवास करते थे। इनकी मृत्यु 31-03-2023 को धमेड़ा अड्डा बु०शहर में हुयी थी। इनकी मृत्यु उपरान्त इनका कोई विधिक वारिस नही है। चन्द्रपाल व महावीर दो सगे भाई थे। जिसमें एक भाई महावीर सिंह की भी मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है।

बयान सुनकर तस्दीक किया

[signature] 19-B00/2023

नि०अ०

भगवती

Mob No- 9536313350

 "अत्यन्त महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

Annexure R-6

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

विशेष सचिव,
गृह,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 118/M-4/NGT/2025 दिनांक 16, मई, 2025

विषयः मा0 न्यायालय द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–271 / 2023 **Notice of hearing soumotu matter in a re: New Items published in News paper Times of India dated. 01-04-2023 titled "04 Dead blast at a house in Bulandshaha"** के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह आदेश जनपद बुलन्दशहर के एक मकान में हुये ब्लास्ट की घटना में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित घटना के सम्बन्ध में स्वतः संज्ञान लेते हुये दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

उपरोक्त के अनुपालन के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक–1920 / एस.टी.–ए.डी.एम–एफ / 2023 दिनांक 02.05.2023 द्वारा उपरोक्त पारित आदेश की छायाप्रति संलग्नकर मा0 अधिकरण में राज्य का पक्ष रखे जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा, जो कि वर्तमान में उ0प्र0 राज्य की ओर से मा0 अधिकरण में पैरवी कर रहे है, को पैरवी हेतु नामित करने एवं उनका contact / वकालतनामा जारी कराने के सम्बन्ध में था। वकालतनामा जारी करने एवं Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में ओ0ए0 सं0–271 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के संदर्भ में राज्य की ओर से ससमय रिव्यू प्रार्थना–पत्र दाखिल कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था।

...2 / –

अग्रेतर उपरोक्त योजित ओ0ए0 एप्लीकेशन सं0–271/2023 में रिव्यू एप्लीकेशन पत्रांक–115/एम–4/2023/एनजीटी दिनांक 17.05.2023 द्वारा मा0 अधिकरण में दाखिल की गई थी (छायाप्रति संलग्न) तथा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा द्वारा रिव्यू एप्लीकेशन (शपथ–पत्र) दिनांक 18.05.2023 को दाखिल किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त रिव्यू एप्लीकेशन में घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्थान संचालक/अभियुक्त द्वारा बगैर राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर किया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना कारित हुई है। अवैध रूप से कार्य करने के दौरान यदि कोई घटना कारित होती है, तो उसका दायित्व संचालन का है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उपरोक्त केमिकल फैक्ट्री का संचालन अवैध रूप से बिना सक्षम विभाग की अनुमति से किया जा रहा था। घटना स्थल पर फैक्ट्री का संचालन अधिष्ठान संचालक के परिवारिक सदस्यों व उसके निकट सम्बन्धियों के द्वारा ही कराया जा रहा था, जिससे घटना में मारे गये सदस्यों की अवैध कार्य किये जाने में संलिप्तता प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में मृतक को राज्य सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति दिये जाने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त रिव्यू एप्लीकेशन पर मा0 अधिकरण द्वारा सुनवाई दिनांक 23.05.2023 को रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज करते हुये निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

4. It is well settled that the PP is liable to compensate victims under the principle of Absolute Liability laid down inter-alia in M.C. Mehta vs. Union of India & Ors., (1987) 1 SCC 395. A person carrying on hazardous commercial activity has to take responsibility of consequences of his activity. The State Authorities have to ensure that no hazardous activity is carried on illegally and State has to pay compensation if it fails in its duty to prevent and regulate such activity which has not been done in the present case. Reference can be made to MCD v. Uphaar Tragedy Victims Association, (2011) 14 SCC 481. Scale of compensation has to be consistent with the principle of restitution on the pattern of Sarla Verma, (2009) 6 SCC 121.

5. This view has been taken by the Tribunal in large number of cases which have been dealt with wherein deaths and injuries have resulted on account of unregulated hazardous commercial activities.

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में योजित उक्त ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा एप्लीकेशन दाखिल की गई है।

उपरोक्त में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई दिनांक 04.04.2025 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....

...3/–

उपरोक्त योजित ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में सुनवाई की तिथि दिनांक 11.07.2025 नियत है।

उपरोक्त योजित वाद में पुलिस विभाग अन्तर्गत एफ0आई0आर0 सं0–0244 दर्ज है, के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, बुलन्दशहर द्वारा अपने पत्र सं0–एसटी–एसपीसी–12/2023 दिनांक 05.08.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कुल 07 मृतको का विवरण दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 की प्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु अग्रिम निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में राज्य की ओर से ससमय अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–

1– श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में ससमय आख्या दाखिल कराये जाने का कष्ट करें।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

 "अत्यन्त महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

Annexure R-7

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 2221/एम0ए0/NGT/25 दिनांक 18, जून, 2025

विषयः **COMPLIANCE WITH HON'BLE NGT ORDER ON COMPENSATION FOR FIRE CRACKER EXPLOSION VICTIMS.**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में दिनांक 04.04.2025 को पारित आदेश में जनपद बुलन्दशहर के एक मकान में हुये ब्लास्ट की घटना में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित घटना के सम्बन्ध में स्वतः संज्ञान लेते हुये दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

उपरोक्त के अनुपालन के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक–1920/एस.टी.–ए.डी.एम–एफ/2023 दिनांक 02.05.2023 द्वारा उपरोक्त पारित आदेश की छायाप्रति संलग्नकर मा0 अधिकरण में राज्य का पक्ष रखे जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा, जो कि वर्तमान में उ0प्र0 राज्य की ओर से मा0 अधिकरण में पैरवी कर रहे है, को पैरवी हेतु नामित करने एवं उनका contact/वकालतनामा जारी कराने के सम्बन्ध में था। वकालतनामा जारी करने एवं Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में ओ0ए0 सं0–271/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के संदर्भ में राज्य की ओर से ससमय रिव्यू प्रार्थना–पत्र दाखिल कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था।

अग्रेतर उपरोक्त योजित ओ0ए0 एप्लीकेशन सं0–271/2023 में रिव्यू एप्लीकेशन पत्रांक–115/एम–4/2023/एनजीटी दिनांक 17.05.2023 द्वारा मा0 अधिकरण में दाखिल की गई थी (छायाप्रति संलग्न) तथा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा द्वारा रिव्यू एप्लीकेशन (शपथ–पत्र) दिनांक 18.05.2023 को दाखिल किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त रिव्यू एप्लीकेशन में घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्थान संचालक/अभियुक्त द्वारा बगैर राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर किया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना कारित हुई है। अवैध रूप से कार्य करने के दौरान यदि कोई घटना कारित होती है, तो उसका दायित्व संचालन का है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उपरोक्त केमिकल फैक्ट्री का संचालन अवैध रूप से बिना सक्षम विभाग की अनुमति से किया जा रहा था। घटना स्थल पर फैक्ट्री का संचालन अधिष्ठान संचालक के परिवारिक सदस्यों व उसके निकट सम्बन्धियों के द्वारा ही कराया जा रहा था, जिससे घटना में मारे गये सदस्यों की अवैध कार्य किये जाने में संलिप्तता प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में मृतक को राज्य सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति दिये जाने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त रिव्यू एप्लीकेशन पर मा0 अधिकरण द्वारा सुनवाई दिनांक 23.05.2023 को रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज करते हुये निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

4. It is well settled that the PP is liable to compensate victims under the principle of Absolute Liability laid down inter-alia in M.C. Mehta vs. Union of India & Ors., (1987) 1 SCC 395. A person carrying on hazardous commercial aetivity has to take responsibility of consequences of his activity. The State Authorities have to ensure that no hazardous activity is carried on illegally and State has to pay compensation if it fails in its duty to prevent and regulate such activity which has not been done in the present case. Reference can be made to MCD v. Uphaar Tragedy Victims Association, (2011) 14 SCC 481. Scale of compensation has to be consistent with the principle of restitution on the pattern of Sarla Verma, (2009) 6 SCC 121.

5. This view has been taken by the Tribunal in large number of cases which have been dealt with wherein deaths and injuries have resulted on account of unregulated hazardous commercial activities.

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में योजित उक्त ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा एप्लीकेशन दाखिल की गई है।

उपरोक्त में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई दिनांक 04.04.2025 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....

उपरोक्त योजित ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में सुनवाई की तिथि दिनांक 11.07.2025 नियत है।

उपरोक्त योजित वाद में पुलिस विभाग अन्तर्गत एफ0आई0आर0 सं0–0244 दर्ज है, के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, बुलन्दशहर द्वारा अपने पत्र सं0–एसटी–एसपीसी–12/2023 दिनांक 05.08.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कुल 07 मृतको का विवरण दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा ओ0ए0 सं0–271/2023 में दिनांक 04.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ अग्रिम निर्देश जारी करने हेतु पत्रांक–118/एम–4/एनजीटी/2025 दिनांक 16.05.2025 द्वारा विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया किया गया था।

तत्क्रम में संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 02.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित द्वारा ओ0ए0 संख्या–271/2023 मे पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 में पटाखों से जुड़ी घटनाओं में मुआवजा दिये जाने के बिन्दु पर आदेश पारित किये गये है। उक्त वादों में तथा इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सूश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सन्दर्भित किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–5, लखनऊ के पत्र दिनांक 02.06.2025 की प्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालनार्थ अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, ताकि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi में राज्य की ओर से ससमय अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–

1– विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।

2– श्रीमती प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

3–श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में ससमय आख्या दाखिल कराये जाने का कष्ट करें।

4–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

Annexure R-8

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 286 / M-4/25 दिनांकः 08, जुलाई, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2023 को जनपद बुलन्दशहर में थाना कोतवाली नगर स्थित एक भवन में विस्फोट होने पर 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 271/2023 में दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

चूंकि उक्त भवन में केमिकल फैक्ट्री का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर बिना राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से किया जा रहा था तथा दुर्घटना में फैक्ट्री संचालक के परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हुई थी, अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका योजित की गयी, जिसको मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2023 के द्वारा खारिज कर दिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग–5 के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि– ''इसी प्रकार के अन्य जनपदों से संबंधित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग हैं। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।'' उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालनार्थ अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्रों के कम में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन के संबंध में निर्देश/मार्गदर्शन शासन स्तर से अद्यतन प्राप्त नहीं हो सके हैं।

यह भी अवगत कराना है कि गृह विभाग के पत्र दिनांक 02.06.2025 में उल्लिखित सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय सुश्री प्रियंका स्वामी से इस संबंध में सम्पर्क किया गया। उक्त के कम में उनके द्वारा दिनांक 14.06.2025 को ईमेल प्रेषित किया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित ईमेल दिनांक 24.02.2025 को अग्रसारित किया गया। उक्त ईमेल के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरण जनपद सम्भल, बरेली तथा गोण्डा के संबंध में भी मा0 अधिकरण में योजित हुए हैं। उक्त ईमेल के माध्यम से प्रकरण नीतिगत निर्णय से संबंधित होने के कारण आपके स्तर से उचित निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण मा0 अधिकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.07.2025 को नियत है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु यथोचित मार्गदर्शन/निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

Shruti.

(श्रुति)

जिलाधिकारी,

बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव महोदय, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

जिलाधिकारी,

बुलन्दशहर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 303/M-4/25 दिनांक 15, जुलाई, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 222/एम–4/एनजीटी/25 दिनांक 18 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0–271/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 तथा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पूर्व में प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 118/एम–4/एनजीटी/2025 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र के कम में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह(पुलिस) अनुभाग–5 के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सूश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 286/एम–4/2025 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय से भी प्रकरण में उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है। उक्त पत्र की प्रति आपको तथा प्रमुख सचिव महोदय, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित की गयी थी।

अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 11.07.2025 को Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई उपरान्त अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.04.2023/04.04.2025 के अनुपालन हेतु 02 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए अग्रिम सुनवाई की दिनांक 16.10.2025 नियत की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु यथोचित निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध"

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 315/M-4/25 दिनांक 24, जुलाई, 2025

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–222/एम–4/एनजीटी/2025 दिनांक 18 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0–271/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 तथा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पूर्व में प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–118/एम–4/एनजीटी/2025 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा विशेष सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र के कम में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह (पुलिस), अनुभाग–5 के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0–286/एम–4/2025 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय से भी प्रकरण में उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है। उक्त पत्र की प्रति आपको तथा प्रमुख सचिव महोदय, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित की गयी थी।

अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 11.07.2025 को Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई उपरान्त अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.04.2023/04.04.2025 के अनुपालन में 02 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये अग्रिम सुनवाई की दिनांक 16.10.2025 नियत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं0–303/एम–4/2025 दिनांक 15.07.2025 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु यथोचित निर्देश जारी करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

 "मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण / महत्वपूर्ण / समयबद्ध"

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 349/एम-4/25 दिनांक 07 अगस्त, 2025

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0-222/एम-4/एनजीटी/2025 दिनांक 18 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 तथा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पूर्व में प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-118/एम-4/एनजीटी/2025 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा विशेष सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह (पुलिस), अनुभाग-5 के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के क्रम में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0-286/एम-4/2025 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय से भी प्रकरण में उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है। उक्त पत्र की प्रति आपको तथा प्रमुख सचिव महोदय, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित की गयी थी।

अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 11.07.2025 को Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई उपरान्त अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.04.2023/04.04.2025 के अनुपालन में 02 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये अग्रिम सुनवाई की दिनांक 16.10.2025 नियत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं0-303/एम-4/2025 दिनांक 15.07.2025 एवं पत्र सं0-315/एम-4/2025 दिनांक 24.07.2025 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु यथोचित निर्देश जारी करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

o/c

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को सायं 05:00 बजे से 05:45 बजे तक आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को सायं 05:00 बजे से 05:45 बजे तक, उनके लोक भवन स्थित सभाकक्ष में हाइब्रिड मोड में आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उक्त प्रकरण में अवगत कराया गया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से स्थापित पटाखा गोदामों में हुए विस्फोट को संज्ञान में रखते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों से सम्बन्धित Original Applications (O.A.) and Execution Application (E.A.) में उक्त विस्फोटों में मारे गये एवं घायल हुए पीड़ितों हेतु मुआवजा (Compensation) की दर तय करते हुए उक्त मुआवजा पीड़ितों को दिये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। सम्बंन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मुआवजे को दिये जाने हेतु फण्ड की कमी होना एवं उत्तर प्रदेश शासन से फण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किये गये है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों पर एक पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन तैयार किया गया है, जिसे सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया:-

- अद्यतन मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रदेश के जनपद-सम्भल, गोण्डा, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, बरेली एवं सहारनपुर में अवैध पटाखा

गोदामों में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में दाखिल 07 वादों के अन्तर्गत सुनवाई की गयी है।

- उक्त 07 वादों में से 04 वादों में मा० एन०जी०टी० द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को पीड़ित (मृत/घायल) व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- मा० एन०जी०टी० द्वारा जनपद-सम्भल के अन्तर्गत ओ०ए० संख्या-438/2023 News item in India Today dated 14.06.2023 titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP owners held" में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त प्रकरण में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करते हुए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश दिनांक 22.04.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

".............The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh is directed to review and update the existing mechanism in the State to check illegally operating commercial activities in hazardous substances, hold a meeting with all the concerned stake holders and issue appropriate instructions after necessary deliberations, for taking of appropriate remedial measures to avoid recurrence of such incidents in future and to periodically oversee working of the mechanism and compliance with the instructions and environmental norms......"

- मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-1221/2024 News Item titled "Bareilly cracker factory blast toll upto 6 main accused held" appearing in the Hindustan Times dated 03.10.2024 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 के प्रस्तर-20 में दोहराया गया है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना राज्य का दायित्व है। इसी क्रम में ओ०ए० संख्या-271/2023 News item published in Newspaper Times of India dated 01.04.2023 titled "4 dead after blast at a house in Bulandshahr, documents of chemical firm recovered, probe underway में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के प्रस्तर-08 में निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः-

".............The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Idnetity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. ...."

- मा० एन०जी०टी० द्वारा जनपद-सम्भल, बुलन्दशहर, बरेली एवं सहारनपुर के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि की दर निर्धारित करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारी को पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

Sr. No.	OA No(s).	Order Date(s)	Amount of Compensation		No. of person	Concerning DM (s)
			Deceased	Injured		
1	438/2023	22.04.2025	Rs. 16 Lakhs per person	-----	04 deceased (But compensation has been directed to 2 deceased persons)	Sambhal
2	EA N. 21/2025 OA No. 271/2023	11.07.2025 18.04.2023	Rs. 20 Lakhs per person	------	04 deceased	Bulandshahar.
3	1221/2024	18.02.2025	Rs. 20 Lakhs per per son	•Rs. 15 Lakhs (burn more than 50%) •Rs. 10 Lakhs (Burn 26 to 50%) •Rs. 2 Lakhs (For minor burn)	7 deceased 2 injured	Bareilly
4	232/2025	17.09.2025	Rs. 25 Lakhs to the family member of eacch deceased	------	03 deceased	Saharanpur

- मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त प्रकरणों में पारित निर्देशों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

  - ➢ जिलाधिकारी, सम्भल, बुलन्दशहर, बरेली एवं सहारनपुर से सम्बन्धित प्रकरणों में मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मुआवजा (Compensation) पीड़ितों को दिया जाना है।

  - ➢ ओ०ए० संख्या-438/2023 (जनपद-सम्भल) News item in India Today dated 14.06.2023 titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP owners held" में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 22.04.2025 के क्रम में

राज्य अधिवक्ता सुश्री प्रियंका स्वामी के ई-मेल दिनांक 25.04.2025 द्वारा सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि को दोषी व्यक्तियों से वसूल किया जाना कठिन है तथा इस प्रकार समस्त मुआवजे की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी। अतः इस सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave Petition दायर की जाय। इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना उचित होगा।

4. उपरोक्तानुसार प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

1- जनपद स्तर पर पटाखा निर्माण, वितरण एवं भण्डारण हेतु लाइसेन्स जिलाधिकारी / पुलिस आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। अतः मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन एवं निर्धारित मुआवजा (Compensation) पीड़ितों को दिये जाने का कार्य शासन स्तर पर गृह विभाग का है। अतः इन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्यवाही गृह विभाग के द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही - गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/सम्बन्धित जिलाधिकारी)

2- मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-438/2023 News item in India Today dated 14.06.2023 titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP owners held" में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुपालन हेतु इस प्रकार के अवैध वाणिज्यिक क्रिया-कलापों को रोके जाने एवं विस्फोट एवं अन्य दुर्घटनायें न होने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से आवश्यक निर्देश गृह विभाग द्वारा 15 दिवस के अन्दर जारी कराये जाय।

(कार्यवाही - गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

3- ओ०ए० संख्या-438/2023 News item in India Today dated 14.06.2023 titled "2 minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker godown in UP owners held" (जनपद-सम्भल) में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 22.04.2025 के विरूद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave Petition दाखिल किये जाने का निर्णय लिये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही - गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

उपरोक्त निर्णय के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
SUSHANT SHARMA
Date: 26-09-2025
18:45:11

(सुशांत शर्मा)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या- एन.जी.टी.-755 /81-7-2025-1715966
लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व, न्याय, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

2- जिलाधिकारी, सम्भल, गोण्डा, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, बरेली एवं सहारनपुर, उ०प्र०।

3- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SHAILENDRA KUMAR
Date: 26-09-2025
19:13:47

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (गृह)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 525/O.A.NO.271/23/2025 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025

विषयः **माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2023 को जनपद बुलन्दशहर में थाना कोतवाली नगर स्थित एक भवन में विस्फोट होने पर 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिरकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0–271/2023 में दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थे:–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

चूंकि उक्त भवन में केमिकल फर्म का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर बिना राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से पटाखा भण्डारण किया जा रहा था तथा फायर ब्लास्ट दुर्घटना में फर्म संचालक के परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हुई थी, अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध जिला प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा पुनर्विचार याचिका योजित की गयी, जिसको मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा खारिज कर दिया गया।

प्रश्नगत् प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...2/–

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....

मा0 अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्रश्नगत् प्रकरण में अग्रिम निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह(पुलिस) अनुभाग–5 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालनार्थ अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुये विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 सं0–एनजीटी–755/81–7–2025–1715966 लखनऊ दिनांक 26.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में बिन्दु सं0–04 के बिन्दु सं0–01 में उल्लिखित है कि "जनपद स्तर पर पटाखा निर्माण, वितरण एवं भण्डारण हेतु लाईसेंस जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन एवं निर्धारित मुआवजा (Compensation) पीड़ितो को दिये जाने का कार्य शासन स्तर पर गृह विभाग का है। अतः इन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्यवाही गृह विभाग के द्वारा की जायेगी"

अतः आपसे अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मृतको के परिवार को दी जाने वाली धनराशि रू0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से शासन स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि राज्य की ओर से ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा अनुपालन आख्या अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2025 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की जा सके।

भवदीया

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

/

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (गृह)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 537/OA No-271/23/25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023** में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2023 को जनपद बुलन्दशहर में थाना कोतवाली नगर स्थित एक भवन में विस्फोट होने पर 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0–271/2023 में दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

चूंकि उक्त भवन में केमिकल फर्म का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर बिना राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से पटाखा भण्डारण किया जा रहा था तथा फायर ब्लास्ट दुर्घटना में फर्म संचालक के परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हुई थी, अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध जिला प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा पुनर्विचार याचिका योजित की गयी, जिसको मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा खारिज कर दिया गया।

प्रश्नगत् प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...2/–

...5. *Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....*

मा0 अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्रश्नगत् प्रकरण में अग्रिम निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह(पुलिस) अनुभाग–5 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालनार्थ अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन हेतु यथोचित मार्गदर्शन/निर्देश दिये जाने हेतु पत्र सं0–303/एम–4/2025 दिनांक 15.07.2025, पत्र सं0–315/एम–4/2025 दिनांक 24.07.2025 एवं पत्र सं0–349/एम–4/2025 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पुनः अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुये विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 सं0–एनजीटी–755/81–7–2025–1715966 लखनऊ दिनांक 26.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में बिन्दु सं0–04 के बिन्दु सं0–01 में उल्लिखित है कि "जनपद स्तर पर पटाखा निर्माण, वितरण एवं भण्डारण हेतु लाईसेंस जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन एवं निर्धारित मुआवजा (Compensation) पीड़ितो को दिये जाने का कार्य शासन स्तर पर गृह विभाग का है। अतः इन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्यवाही गृह विभाग के द्वारा की जायेगी"।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं0–525/ओए नं0–271/23/2025 दिनांक 08.10.2025 द्वारा Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मृतकों के परिवार को दी जाने वाली धनराशि रू0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से शासन स्तर से उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मृतको के परिवार को दी जाने वाली धनराशि रू0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से शासन स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि राज्य की ओर से ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा अनुपालन आख्या अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2025 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (गृह)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः 565/OANo-271/23/25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2023 को जनपद बुलन्दशहर में थाना कोतवाली नगर स्थित एक भवन में विस्फोट होने पर 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0–271/2023 में दिनांक 18.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

...8. we direct the District Magistrate, Bulandshahr to pay compensation at the rate of Rs. 20 lakhs each to the heirs of the deceased adjusting the payments, if any, already made preferably within two months. The amount paid will be adjusted towards the claim in any other proceedings. The payment will be without prejudice to any other proceedings. The State will be at liberty to recover the amount from the owner of the godown where incident took place. The State may also take measures to prevent such incidents in future. For this purpose, the Chief Secretary may hold a follow up meeting within a month. Identity of victims may be ascertained by the SSP, Bulandshahr at the earliest to enable compensation being paid. Since it is stated that such illegal activities have been restarted, the statutory regulators may take necessary action to stop such illegal activities...

चूंकि उक्त भवन में केमिकल फर्म का संचालन आवासीय परिसर के अन्दर बिना राज्य सरकार की अनुमति लिये अवैध रूप से पटाखा भण्डारण किया जा रहा था तथा फायर ब्लास्ट दुर्घटना में फर्म संचालक के परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हुई थी, अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध जिला प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा पुनर्विचार याचिका योजित की गयी, जिसको मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा खारिज कर दिया गया।

प्रश्नगत् प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 सं0–271/2023 Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 में Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain, Mr. Shaiem Hasan & Ms. Farha Khan, Advocates in E.A. No. 21/2025 द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

...4. Learned counsel for the applicant submits that the applicants are legal representatives of deceased Rahis Khan, Ahad and Chandrapal. He has submitted that Ahad was son of Rahis Khan, therefore, the applicant no. 1 is the legal representative of both the deceased persons. He has further submitted that in pursuance to the direction of the Tribunal no steps have been taken by the respondents and the compensation amount has not been paid till now, though about two years have passed...

...5. Issue notice to the respondents. Mr. Ankit Verma, learned counsel accepts notice on behalf of the respondents and seeks four weeks time to file the compliance report....

मा0 अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्रश्नगत् प्रकरण में अग्रिम निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह(पुलिस) अनुभाग–5 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– "इसी प्रकार के अन्य जनपदों से सम्बन्धित अनेक वादों में जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्य प्रतिवादीगण पर्यावरण, वन

...2/–

एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन विभाग है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में पारित आदेशों के दृष्टिगत सुश्री प्रियंका स्वामी, सीनियर एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र में दिये गये परामर्श/अनुरोध के कम में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पत्रावलियों/प्रकरणों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।" उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालनार्थ अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025) In Original Application No. 271/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन हेतु यथोचित मार्गदर्शन/निर्देश दिये जाने हेतु पत्र सं0–303/एम–4/2025 दिनांक 15.07.2025, पत्र सं0–315/एम–4/2025 दिनांक 24.07.2025 एवं पत्र सं0–349/एम–4/2025 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रमुख सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पुनः अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुये विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 सं0–एनजीटी–755/81–7–2025–1715966 लखनऊ दिनांक 26.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में बिन्दु सं0–04 के बिन्दु सं0–01 में उल्लिखित है कि "जनपद स्तर पर पटाखा निर्माण, वितरण एवं भण्डारण हेतु लाईसेंस जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन एवं निर्धारित मुआवजा (Compensation) पीड़ितो को दिये जाने का कार्य शासन स्तर पर गृह विभाग का है। अतः इन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्यवाही गृह विभाग के द्वारा की जायेगी"।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं0–525/ओए नं0–271/23/2025 दिनांक 08.10.2025 एवं पत्र सं0–537/ओए नं0–271/23/2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मृतकों के परिवार को दी जाने वाली धनराशि रू0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से शासन स्तर से उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 16.10.2025 को Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा सुनवाई उपरान्त अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.04.2023/04.04.2025/11.07.2025 का अनुपालन अब तक सुनिश्चित न होने के दृष्टिगत अग्रिम सुनवाई की दिनांक 09.01.2026 नियत की गई है तथा उक्त नियत तिथि पर Virtual appear होने के निर्देश पारित किये गये है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मृतको के परिवार को दी जाने वाली धनराशि रू0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से शासन स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि राज्य की ओर से ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा अनुपालन आख्या अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 09.01.2026 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया

(श्रुति)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 / तद् दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।